

**बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग**

का०आ०सं०:-०८/अ०प्र०-०७-०८/२०२३ ३४७

/पटना, दिनांक:- २१/१०/२४

कार्यालय आदेश

अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में गठित विभागीय स्क्रूनिंग समिति की दिनांक-19.09.2024 को आयोजित बैठक में वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या-4685 दिनांक-25.06.2003 द्वारा निर्गत बिहार राज्य कर्मचारी सेवा शर्त (सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना) नियमावली 2003, तथा वित्त विभाग के संकल्प संख्या-7566 दिनांक-14.07.2010 द्वारा निर्गत बिहार राज्य कर्मचारी सेवा शर्त (रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति योजना) नियमावली, 2010, पत्रांक-5152 दिनांक-21.05.2013, पत्रांक-10936 दिनांक-27.11.2014, विभागीय पत्रांक-12402 दिनांक-13.12.2018 एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर इस संबंध में यथा निर्गत संगत संकल्पों/परिपत्रों/प्रावधानों के आलोक में ग्रामीण कार्य विभाग के नियंत्रणाधीन एन०आर०ई०पी० स्थापना के निम्नांकित लिपिकों/कनीय लेखा लिपिकों जिन्हें समाहरणालय लिपिकीय सेवा के समतुल्य घोषित किया गया है, को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-07 में अंकित तिथि से एवं वेतनमान में वित्तीय उन्नयन (ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी०) की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्र० सं०	कर्मचारियों का नाम/पदनाम/पदस्थापित/सेवानिवृत्त के कार्यालय का नाम	जन्म तिथि/सेवानिवृत्ति की तिथि	सेवा में योगदान की तिथि	विभागीय लेखा परीक्षा उत्तीर्णता की स्थिति/तिथि	देय वित्तीय उन्नयन	देय वित्तीय उन्नयन की तिथि एवं वेतनमान
1	2	3	4	5	6	7
1	श्री सुनील कुमार/ उच्चवर्गीय लेखा लिपिक/स्था०क्ष०अभि० संगठन, कार्य प्रमंडल-02, सोनपुर।	09.01.1965/ 31.01.2025	18.11.1989	14.12.2005	प्रथम ए०सी०पी०, द्वितीय एम०ए०सी०पी०	1. दिनांक-14.12.2005 के प्रभाव से प्रथम ए०सी०पी० वेतनमान-5000- 8000/- में स्वीकृत। 2. दिनांक-14.12.2015 के प्रभाव से द्वितीय एम०ए०सी०पी० वेतनमान-9300- 34800/- ग्रेड पे०-4600 में स्वीकृत।
2	श्री सत्य देव झा/सेवानिवृत्त उच्चवर्गीय लिपिक/स्था०क्ष०अभि० संगठन, कार्य प्रमंडल-01, सासाराम।	20.02.1958/ 28.02.2018	08.06.1989	28.05.1999	प्रथम ए०सी०पी०, द्वितीय एम०ए०सी०पी०	1. दिनांक-08.06.2001 के प्रभाव से प्रथम ए०सी०पी० वेतनमान-5000- 8000/- में स्वीकृत। 2. दिनांक-08.06.2009 के प्रभाव से द्वितीय एम०ए०सी०पी० वेतनमान-9300- 34800/- ग्रेड पे०-4600 में स्वीकृत।
3	श्री कुमार दुर्गानंद झा/सेवानिवृत्त उच्चवर्गीय लिपिक/ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल-वेनीपुर।	04.07.1959/ 31.07.2019	22.11.1989	विमुक्ति/ 31.07.2019	प्रथम एम०ए०सी०पी०	दिनांक-31.07.2019 के प्रभाव से प्रथम एम०ए०सी०पी० वेतन लेवल-5 में स्वीकृत।

4	श्री विजय कुमार मिश्रा/सेवानिवृत्त उच्चवर्गीय लिपिक/स्था0क्षे0अभि0 संगठन, कार्य प्रमंडल, जगदीशपुर (भोजपुर)।	27.02.1956/ 29.02.2016	18.05.1984	04.01.1986	प्रथम ए0सी0पी0, द्वितीय ए0सी0पी0 एवं तृतीय एम0ए0सी0पी0	1. दिनांक-09.08.1999 की तिथि से प्रथम ए0सी0पी0 वेतनमान-5000-8000/- में स्वीकृत। 2. दिनांक-18.05.2008 की तिथि से द्वितीय ए0सी0पी0 वेतनमान-9300- 34800/- ग्रेड पे0-4600 में स्वीकृत। 3. दिनांक-18.05.2014 की तिथि से तृतीय एम0ए0सी0पी0 वेतनमान-9300- 34800/- ग्रेड पे0-4800 में स्वीकृत।
5	श्री राज कुमार साह/उच्चवर्गीय लिपिक/स्था0क्षे0अभि0 संगठन, कार्य प्रमंडल-कटिहार।	01.02.1965/ 31.01.2025	28.05.1988	22.03.2004	प्रथम ए0सी0पी0, द्वितीय ए0सी0पी0 एवं तृतीय एम0ए0सी0पी0	1. दिनांक-22.03.2004 के प्रभाव से प्रथम ए0सी0पी0 वेतनमान-5000-8000/- में स्वीकृत। 2. दिनांक-22.03.2014 के प्रभाव से द्वितीय ए0सी0पी0 वेतनमान-9300- 34800/- ग्रेड पेय -4600 में स्वीकृत। 3. दिनांक-22.03.2024 के प्रभाव से तृतीय एम0ए0सी0पी0 वेतन लेवल-08 में स्वीकृत।
6	श्री सत्येन्द्र कुमार सिंह/सेवानिवृत्त उच्चवर्गीय लिपिक/स्था0 क्षे0अभि0 संगठन, कार्य प्रमंडल-02 वगहा।	17.01.1961/ 31.01.2021	30.06.1989	12.10.2007	प्रथम ए0सी0पी0 एवं द्वितीय एम0ए0सी0पी0	1. दिनांक- 12.10.2007 के प्रभाव से प्रथम ए0सी0पी0 वेतनमान-9300- 34800 ग्रेड पे0-4200/- में स्वीकृत। 2. दिनांक- 12.10.2017 के प्रभाव से द्वितीय एम0ए0सी0पी0 लेवल-07 में स्वीकृत।
7	श्री सुरेश प्रसाद/सेवानिवृत्त उच्चवर्गीय लिपिक/स्था0 क्षे0अभि0 संगठन, कार्य प्रमंडल-02 सोनपुर, सारण।	30.03.1955/ 31.03.2015	23.09.1986	03.11.1991	प्रथम ए0सी0पी0	दिनांक- 09.08.1999 की तिथि से प्रथम ए0सी0पी0 वेतनमान- 5000-8000/- में स्वीकृत।
8	श्री राज कुमार/उच्चवर्गीय लिपिक/स्था0 क्षे0अभि0 संगठन, कार्य प्रमंडल-मधेपुरा।	08.09.1967/ 30.09.2027	03.07.1987	07.09.1999	द्वितीय ए0सी0पी0 एवं तृतीय एम0ए0सी0पी0	1. दिनांक- 01.01.2009 के प्रभाव से द्वितीय ए0सी0पी0 वेतनमान-9300- 34800 ग्रेड पे0-4600/- में स्वीकृत। 2. दिनांक-03.07.2017 की तिथि से तृतीय एम0ए0सी0पी0 वेतनमान पे0 लेवल-08 में स्वीकृत।
9	श्री अरविन्द नारायण द्विवेदी/सेवानिवृत्त उच्चवर्गीय लिपिक/स्था0 क्षे0अभि0 संगठन, कार्य प्रमंडल-02 सिवान।	07.08.1962/ 31.08.2022	14.11.1983	22.11.1992	प्रथम ए0सी0पी0, द्वितीय ए0सी0पी0 एवं तृतीय एम0ए0सी0पी0	1. दिनांक-09.08.1999 के प्रभाव से प्रथम ए0सी0पी0 वेतनमान- 5000-8000/- में स्वीकृत। 2. दिनांक-14.11.2007 के प्रभाव से द्वितीय ए0सी0पी0 वेतनमान-9300- 34800 ग्रेड पे-4600 में स्वीकृत। 3. दिनांक-14.11.2013 के प्रभाव से तृतीय एम0ए0सी0पी0 वेतनमान 9300-34800 ग्रेड पे-4800 में स्वीकृत।

10	श्री अनिल कुमार/सेवानिवृत्त उच्चवर्गीय लिपिक/कार्यपालक अभियंता, स्था० क्षेत्र० अग्नि० संगठन, कार्य प्रमंडल-01, आरा, भोजपुर।	04.01.1962/ 31.01.2022	18.05.1984	03.11.1997	प्रथम ए०सी०पी०, द्वितीय ए०सी०पी० एवं तृतीय एम०ए०सी०पी०	1. दिनांक-09.08.1999 के प्रभाव से प्रथम ए०सी०पी० वेतनमान-5000-8000/- में स्वीकृत। 2. दिनांक-18.05.2008 के प्रभाव से द्वितीय ए०सी०पी० वेतनमान-9300-34800 ग्रेड पे-4600 में स्वीकृत। 3. दिनांक-18.05.2014 के प्रभाव से तृतीय एम०ए०सी०पी० वेतनमान 9300-34800 ग्रेड पे-4800 में स्वीकृत।
11	श्री युगल किशोर/उच्चवर्गीय लिपिक/ स्था० क्षेत्र० अग्नि० संगठन, कार्य प्रमंडल, जमुई।	12.05.1970/ 31.05.2030	09.09.1992	28.01.1996	तृतीय एम०ए०सी०पी०	दिनांक- 09.09.2022 की तिथि से तृतीय एम०ए०सी०पी० वेतन लेवल-08 में स्वीकृत।
12	श्री रमेश कुमार/लिपिक/कार्य प्रमंडल, सासाराम-01	10.12.1978/ 31.12.2038	14.02.2004	10.12.2005	द्वितीय एम०ए०सी०पी०	दिनांक-14.02.2024 के प्रभाव से द्वितीय एम०ए०सी०पी० वेतन लेवल-6 में स्वीकृत।
13	श्री विनोद कुमार राम/सेवानिवृत्त उच्चवर्गीय लिपिक/स्था० क्षेत्र० अग्नि० संगठन, कार्य प्रमंडल-01, हाजीपुर, वैशाली।	02.02.1963/ 28.02.2023	20.03.1984	31.07.1999	द्वितीय ए०सी०पी० एवं तृतीय एम०ए०सी०पी०	1. दिनांक-20.03.2008 की तिथि से द्वितीय ए०सी०पी० वेतनमान-9300-34800/- ग्रेड पे०-4600 में स्वीकृत। 2. दिनांक-20.03.2014 की तिथि से तृतीय एम०ए०सी०पी० वेतनमान-9300-34800/- ग्रेड पे०-4800 में स्वीकृत।

3. उक्त स्वीकृत वित्तीय उन्नयन में भविष्य में किसी प्रकार की त्रुटिया पार्थक्य पाये जाने पर उक्त कर्मियों को प्रदत्त ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी० के लाभ से संबंधित आदेश को रद्द/संशोधित कर दिया जायेगा तथा उन्हें भुगतान की गई राशि की वसूली/प्रतिपूर्ति कर ली जाएगी।

4. यह वित्तीय उन्नयन व्यक्तिगत होगा, जिसका पारस्परिक वरीयता से कोई सम्बन्ध नहीं होगा।


5. नियंत्री पदाधिकारी वेतन निर्धारण एवं देय लाभों के भुगतान के पूर्व उनके सेवापुस्त की सम्यक् जांच कर लेंगे एवं जांचोपरान्त स्वीकृत लाभों के संबंध में यदि कोई प्रतिकूल तथ्य (यथा निर्धारित सेवा अवधि में टूट, निलंबन, बर्खास्त, दंडादेश एवं अन्य मामला आदि, जो ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी० को प्रभावित करता हो, पाया जाता है, तो नियमानुकूल अपेक्षित कार्रवाई करते हुए विभाग से मार्ग दर्शन प्राप्त कर अग्रेतर कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।

6. अगर इनकी सेवा सम्पुष्टि/स्थायीकरण पूर्व में नहीं हुआ है एवं सेवापुस्त में अंकित नहीं है, तो उन्हें सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना/रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के तहत वित्तीय उन्नयन का निर्धारण करने से पूर्व सेवा सम्पुष्टि/स्थायीकरण सम्बन्धी मामला विभाग को भेजा जाय। स्थायीकरण सेवा सम्पुष्टि के पश्चात् ही वेतन निर्धारण सम्बन्धी कार्रवाई की जाय।

7. उक्त कर्मियों का वित्तीय उन्नयन के फलस्वरूप वेतन निर्धारण सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना नियमावली, के नियम-8/रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना नियमावली परिशिष्ट-01 के नियम-04 के अनुसार किया जायेगा। वेतन निर्धारण मौलिक नियमावली के नियम-22 (i) ए (i) में निहित प्रावधानों के अनुसार होगा। वेतन निर्धारण के क्रम में नियंत्री/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी इस बिन्दु पर पूरी तरह संतुष्ट हो ले कि उक्त नियमावली के प्रावधानों का अनुपालन पूरी तरह हो रहा है।


8. जिन कर्मियों का पूर्व में स्वीकृत वित्तीय उन्नयन संबंधित लाभ में संशोधन किया गया है, अथवा पूर्व में स्वीकृत ए0सी0पी0/एम0ए0सी0पी0 को रद्द किया गया हो तो उनका वेतन निर्धारण किये जाने के पूर्व यदि यह परिलक्षित होता है कि उक्त कर्मियों को अत्यधिक वेतन का भुगतान किया गया है, तो संबंधित नियंत्री पदाधिकारी नियमानुकूल अत्यधिक भुगतान की गई राशि की वसूली/समायोजन की कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।

9. सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक-03/एम0-07/2021 सा0प्र0-9161 दिनांक-25.03.2021 के आलोक में विभागीय परीक्षा उत्तीर्णता की तिथि से उक्त सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना एवं रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना का लाभ स्वीकृत किया गया है।



(श्रीप्रकाश)

अभियंता प्रमुख


ज्ञापांक:-08/अ0प्र0-07-08/2023 6703 /पटना, दिनांक:-21/10/24
प्रतिलिपि:-महालेखाकार, बिहार, पटना/अवर सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त विभाग (प्रशाखा-03 ए), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक:-08/अ0प्र0-07-08/2023 6703 /पटना, दिनांक:-21/10/24
प्रतिलिपि:-संबंधित कोषागार पदाधिकारी/उप कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक:-08/अ0प्र0-07-08/2023 6703 /पटना, दिनांक:-21/10/24
प्रतिलिपि:-प्रधान सचिव/सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक:-08/अ0प्र0-07-08/2023

6703

/पटना, दिनांक:-21/10/24

प्रतिलिपि:-माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/अभियंता प्रमुख के आप्त सचिव/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी योजना एवं विकास विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता, योजना एवं विकास विभाग/सभी कार्यपालक अभियंता, योजना एवं विकास विभाग/सभी संबंधित कर्मियों, स्था0क्षे0अभि0 संगठन, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

 21/10/24


अभियंता प्रमुख

/पटना, दिनांक:-21/10/24

ज्ञापांक:-08/अ0प्र0-07-08/2023

6703

प्रतिलिपि:-सभी राजपत्रित पदाधिकारी, योजना एवं विकास विभाग/प्रभारी पदाधिकारी, बजट प्रशाखा/लेखा प्रशाखा, योजना विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

 21/10/24


अभियंता प्रमुख

/पटना, दिनांक:-21/10/24

ज्ञापांक:-08/अ0प्र0-07-08/2023

6703

प्रतिलिपि:-आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय. वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

 21/10/24

अभियंता प्रमुख